भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

राजस्‍व विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं0 243

(जिसका उत्‍तर मंगलवार, दिनांक 01 दिसंबर, 2015/10 अग्रहायण, 1937 (शक) को दिया जाना है)

**भारत में करों का भुगतान करने के तौर-तरीकों को आसान बनाना**

**243 श्री माजीद मेमन :**

क्‍या **वित्‍त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार करों का भुगतान करने के तौर-तरीकों को आसान बनाना चाहती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर भुगतान के आसान तौर-तरीकों के मामले में भारत का रैंक 189 देशों में 156वां है;

(ग) क्‍या सरकार ने भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए उपाय करने की योजना बनाई है;

(घ) क्या सरकार ऐसा महसूस करती है कि कर प्रशासन सुधार समिति (टीएआरसी) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार समकक्ष समीक्षा मूल्‍यांकनों से करादेशों की गुणवत्‍ता में सुधार हो सकता है; और

(ड.) तत्‍संबंधी विस्‍तृत तथ्‍यात्‍मक प्रतिवेदन क्‍या है ?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) से (ग) : जी हां, सरकार का प्रयास रहा है कि वह करों के भुगतान सहित कर कानूनों के अनुपालन की प्रक्रियाओं को सरल बनाए । इसके अतिरिक्‍त, केंद्रीय करों के भुगतान से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण एक सतत प्रक्रिया है । सीमा-शुल्‍क की ओर से अब 18 समुद्री बंदरगाहों और 17 हवाई जहाजी माल परिसरों पर विनिर्दिष्‍ट आयात के लिए 24X7 घंटे सीमा-शुल्‍क निपटान की सुविधा उपलब्‍ध है । आयातक दिन/रात के दौरान किसी भी समय देयों का भुगतान कर सकते हैं और माल की निकासी प्राप्त कर सकते हैं ।

(घ) और (ड.) : इस मुद्दे की जांच समिति द्वारा की जा रही है जो कि केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा सितंबर, 2015 में गठित की गई थी ।